राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

रा.वा. 85 / 2014 शेषाराम व अन्य / राजस्थान सरकार
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 RTAct,1955 & धारा 136 RLRAct,1956

———

09.06.2016

वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी तहसीलदार उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का साण्डेराव–I ने वादग्रस्त भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत सरहद मौजा साण्डेराव–I में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 278 में से रकबा 0.88 हेक्टर का वादी सं.01 लगाय 07 तक व समस्त वादीगण को रकबा 1.88 हेक्टर का खातेदार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए अनुतोष चाहा गया है।

प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का साण्डेराव–I ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया है कि ग्राम साण्डेराव की जमाबंदी संवत् 2024–27 के खाता सं. 19 में गत् खसरा नं.106 रकबा 10)13 बीघा भूमि असिया, पनिया पि.ओपा कौम घांची के नाम खातेदारी दर्ज थी दिनांक 02.09.1969 को खातेदारों द्वारा अपनी भूमि का बैचान कर देने से सम्पूर्ण भूमि रकबा 10)13 बीघा नामान्तरकरण सं. 367 के जरिए खरीददार ताराचंद पारसमल प्रवीणकुमार हंसमुखकुमार बेटा–पोता दलीचंदजी जाति जैन सा.साण्डेराव के नाम दर्ज हुई। वादीगण शेषाराम पुत्र पना के इस वादपत्र अनुसार रकबा 0.88 हेक्टर भूमि खातेदारी की शेष रहनी चाहिए, परन्तु हाल खसरा नं. 278 केगत् खसरा नं. 106 रकबा 10)13 बीघाका सम्पूर्ण बैचान हो गया था, इसलिए वादपत्र काबिल खारिज योग्य है।

परन्तुक, वादपत्र में तथ्य अनुप्रयुक्त होने से लोक अदालत केम्प में उपस्थित वादीगण अधिवक्ता ने पुनर्वाद लाने की अनुमति के साथ इस वादपत्र को जरिए विड्रोवल खारिज करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादीगण अधिवक्ता की उक्त दलील पर विधिक विचारण करने के पश्चात् प्रश्नगत् मामले से संबंधित वादीगण की ओर से पुनर्वाद लाने की स्वीकृति के साथ यह वादपत्र को जरिए विड्रोवल खारिज किया जाता है।

निर्णय बरोज आज दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–साण्डेराव में सुनाया गया। यह पत्रावली निर्णित में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner